

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. आयकर अपील संख्या 312/2018

प्रधान आयकर आयुक्त जयपुर-द्वितीय, जयपुर

----अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन जनपथ मार्ग जयपुर

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए : श्री अनुरूप सिंघी,
श्री आदित्य खंडेलवाल के साथ
प्रतिवादी के लिए : श्री प्रकुल खुराना,
श्री रजत शर्मा के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस आशुतोष कुमार

आदेश

26/09/2024

अवनीश झिंगन, जे:

1. यह अपील आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 260ए के अंतर्गत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 08.05.2018 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी-कंपनी विद्युत वितरण के क्षेत्र में कार्यरत है। कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए रिटर्न दाखिल किया गया था और अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया था। कर निर्धारण कार्यवाही में दो मुद्दे उठे। पहला, क्या कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी का हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'ईपीएफ अधिनियम') और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'ईएसआई अधिनियम') में निर्धारित तिथि के बाद जमा करने पर

कटौती की अनुमति दी जा सकती है? दूसरा, व्यय की कटौती के दावे पर टीडीएस के विलंबित जमा का प्रभाव।

3. प्रतिवादी द्वारा दायर अपील आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए यह अपील।
4. अपील को 19.05.2023 को स्वीकार किया गया, जिसमें निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न थे:

“(1) क्या आईटीएटी द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि भविष्य निधि और ईएसआई में कर्मचारियों का योगदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, न कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(24)(x) के साथ पठित धारा 36(1) (va) द्वारा, चेकमेट सर्विसेज पी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त-I (सिविल अपील संख्या 2833/2016, दिनांक 12.10.2022 को निर्णीत) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर कानूनन टिकने योग्य है?

(2) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संबंधित अधिनियमों में प्रदत्त निर्धारित समय सीमा के बाद भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान को जमा करने के लिए किए गए 1768800000/- रुपये के जोड़ को हटाने में आईटीएटी कानूनन उचित था?”

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता इस बात से सहमत हैं कि प्रतिवादी के विरुद्ध लंबित अपीलों की संख्या में अतिव्यापी प्रश्नों के कारण मूल प्रश्न संख्या 2 गलत रूप से तैयार किया गया था।
7. उपरोक्त के मद्देनजर, मूल प्रश्न संख्या 2 को पुनः तैयार किया जाता है:

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आईटीएटी द्वारा आस्थगित मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम के कारण दी गई 176,88,00,000/- रुपए की अस्वीकृति को हटाना विधि सम्मत था, बिना यह विचार किए कि यह एक आंतरिक व्यवस्था के रूप में बनाया गया शीर्ष है और प्राप्त राजस्व के रूप में प्राप्तियों की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है?"

8. यह अपील पूर्व में तैयार किए गए सारवान प्रश्न संख्या 1 और आज पुनः तैयार किए गए सारवान प्रश्न संख्या 2 पर स्वीकार की जाती है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, स्वीकार किए जाने के पश्चात, मामले की सुनवाई आज ही की जाती है क्योंकि इसमें शामिल सारवान प्रश्नों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा डी.बी. आयकर अपील संख्या **329/2018**, जिसका शीर्षक "प्रधान आयकर आयुक्त जयपुर-II, जयपुर बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन जनपथ मार्ग जयपुर" है, में पहले ही किया जा चुका है।

10. डी.बी. आयकर अपील संख्या **329/2018** में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 में उल्लिखित कारणों से, सारवान प्रश्न संख्या 1 अपीलार्थी-विभाग के पक्ष में और सारवान प्रश्न संख्या 2 अपीलार्थी-विभाग के विरुद्ध तय किया जाता है।

11. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

आरजू अरोरा/रिया/137 एस

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी